पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1286/अका./का.प./2008 रायपुर, दिनांक : 4/06/2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की गुरूवार, दिनांक 29 मई, 2008 को पूर्वान्ह 11.00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. एस.के. मिश्रा	–	सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमती) उषा दुबे	–	सदस्य
7.	डॉ. बी.एन. शर्मा	–	सदस्य
8.	डॉ. सलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
10.	प्रो. जय लक्ष्मी ठाकुर	–	सदस्य
11.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
12.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
13.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में स्वामी निखिलात्मानंद जी, डॉ. आर.एम. झाड़े, डॉ. एस.के. चक्रवर्ती, डॉ. जी.बी. गुप्ता एवं श्री राहुल महावर अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.04.2008, के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करते हुए 15 अप्रेल 2008 के कार्य परिषद् के निर्णयों के बिन्दु 'अ' की भाषा ''मुख्य सूची की एक तिहाई ही पूरक विषय सूची रखी जाएं''। इसी तरह बिन्दु क्रमांक 'ब' की भाषा ''कार्य परिषद् का कार्यवृत्त अलग से पंजी में लिपिबद्ध किया जाय''। सुधारा गया।

2. विषय सूची क्र. 2 छोड़ (Drop) दिया गया। पूरक विषय सूची क्रमांक 4 उन बी.एड्. महाविद्यालयों के प्रकरण पर विचार किया जिन्होनें सत्र 2006–07 में गैर–प्रमाणिक छात्रों को प्रवेश दिया था।

निर्णय :– सत्र 2006–07 में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा बी.एड्. प्रवेश नियम 2006 का उल्लंघन करते हुए ऐसे छात्रों को प्रवेशित किया था जिन्होंने न तो प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था और न ही कौसिंलिंग में। ऐसे गैर–प्रमाणिक छात्र और महाविद्यालय मिलकर विश्वविद्यालय को विधिक वाद में उलझाया। इन महाविद्यालयों के कृत्य से छत्तीसगढ़ एवं विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँची, विश्वविद्यालय के धन एवं समय की बर्बादी हुई एवं छात्रों को धोखाधड़ी से प्रवेश देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। अंततः माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा विश्वविद्यालय के पक्ष को स्वीकार करते हुए तत्संबंधी विधिक वाद खारिज कर दिया। ऐसे निम्नलिखित महाविद्यालय में बी.एड्. की कक्षाओं में सत्र 2008–09 में प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने का सर्व सम्मत निर्णय लिया गया :–

1. रूंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, दुर्ग, 2. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेज गरियाबंद, 3. भिलाई मैत्री कॉलेज, भिलाई, 4. तक्षशीला कॉलेज भिलाई,

5. वेदमाता गायत्री शिक्षा महा. जगदलपुर, 6. महाराजा प्रवीरचंद कालेज जगदलपुर, 7. भिलाई कॉलेज आफ इन्फरमेशन टेक्नॉलॉजी नेहरू नगर भिलाई, 8. अपोलो कॉलेज दुर्ग, 9. भारती इंस्टीट्यूट ऑफ इंफर्मेशन टेक्नॉलॉजी (B.I.I.T.) दुर्ग, 10. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला, वाणिज्य एवं शिक्षा महाविद्यालय भिलाई नगर, 11. मनसा महाविद्यालय, कुरूद, जिला–दुर्ग

3. जैविकी अध्ययनशाला के लिये यू.पी.एस. क्रय रू. 1,31,150 /– के भुगतान पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि भुगतान की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है की भविष्य में क्रय की प्रकिया पारदर्शी बनाते हुए क्रय किये जाय।

4. ऑप्टोइलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम के लिये 19,84,164/– रूपय के Fiber Optic Equipments के भुगतान के प्रकरण पर विचार किया गया

निर्णय :– भुगतान के लिये रू. 19,84,164/– की स्वीकृति प्रदान की गई यह भी निर्णय लिया गया कि यदि यू.जी.सी. अनुदान का चेक अप्राप्त है अथवा खो गया है तो विधिक कार्रवाई करते हुए दूसरा चेक प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

5. रू. 4,80,000 /– Tunable Laser ECI 1200 के क्रय एवं भुगतान पर विचार किया गया।

निर्णय :– भुगतान के लिये रू. 4,80,000 /– की स्वीकृति प्रदान की गई। अनुदान के लिये कमांक 4 के निर्णयानुसार कार्रवाई की जाय।

6. भिलाई कॉलेज ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, भिलाई की सम्बद्धता कार्यपरिषद् की दिनांक 30.01.2008 के निर्णय अनुसार सत्र 2008–09 से समाप्ति के आदेश पर पुनर्विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि यदि केवल भवन के ही कारण सम्बद्धता समाप्त किया गया है तो डी.सी.डी.सी. की अध्यक्षता में प्रो. आर.पी. दास, डॉ. बी.एन. शर्मा की समिति महाविद्यालय प्रबंधन एवं भवन स्वामी दोनों से व्यक्तिशः चर्चा करलें और प्रतिवेदन में कोई विवाद नहीं है तो महाविद्यालय की सम्बद्धता पुनर्जिवित की जाय।

ऐसे महाविद्यालय जिनके अपने भवन नहीं है और परिनियमीय व्यवस्था समय सीमा के अन्दर यदि स्वयं के भवन की व्यवस्था अब तक नहीं की है, तो उन्हें एक वर्ष की अवधि स्वयं के भवन के लिये प्रदान की जाय और इस पर भी यदि महाविद्यालय का स्वयं का भवन एक वर्ष की अवधि में नहीं निर्मित होता तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त की जाय। इस आशय की सूचना महाविद्यालयों को दी जाय।

7. दिनांक 15.04.2008 के कार्यपरिषद् के पद क्र. 12 के निर्णयानुसार वर्ष 1998 से पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति तिथि से आर्थिक लाभ दिये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि तदाशय के लिये गठित समिति के दिनांक 11.08.06 को सम्पन्न बैठक के प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि " इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा तैयार किया जावेगा। " इस विवरण के साथ प्रकरण आगामी कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

8. डॉ. शम्स परवेज रीडर, रसायन अध्ययन शाला द्वारा दो विश्वविद्यालयों में आवेदन अग्रेषित किये जाने के आवेदन पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिनियमीय व्यवस्था के अंतर्गत संभव नहीं है।

9. केन्द्रीय मूल्यांकन के समन्वयकों का मानदेय रू. 125.00 से बढ़ाकर रू. 300.00 किये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि समन्वयको का मानदेय प्रतिदिन रू. 200/– तथा सहायक समन्वयकों का मानदेय रू. 150/– निर्धारित किया जाय।

10. निम्नलिखित विभागों के इम्प्रेस्ट राशि बढ़ाये जाने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित विभागों का इम्प्रस्ट उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित है, स्वीकृत किया गया–

1.	कुलपति सचिवालय	–	रू. 5000/– से 10,000/–
2.	विश्वविद्यालय प्रेस	–	रू. 7000/– से 15,000/–
3.	भू–विज्ञान अ.शा.	–	रू. 1000/– से 3,000/–
4.	प्रबंध संस्थान	–	रू. 5000/– से 10,000/–

11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्टेडियम कोटा रायपुर में Astro Turf हॉकी ग्राउन्ड निर्माण के एम.ओ.यू. (M.o.U.) पर विचार किया गया।

निर्णय :– प्रस्तुत एम.ओ.यू. (M.o.U.) का बिन्दु कमांक च एवं छ निम्नानुसार अनुबद्ध पत्र में अंकित किये जायें।

बिन्दु क. च– यह कि पक्ष कमांक–2 द्वारा कोटा स्टेडियम में सिंथेटिक सतह के हॉकी मैदान एवं उसके चारो ओर बाउन्ड्रीवाल सहित स्टेडियम के निर्माण का व्यय वहन किया जाएगा।

बिन्दु क. छ– यह कि पक्ष कमांक–1 एवं पक्ष कमांक–2 उपरोक्त निर्माण के पश्चात् उक्त अधोसंरचना के रख रखाव का आवर्ती व्यय संयुक्त रूप से वहन करेंगे।

पूरक विषयसूची

1. संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 पर विचार किया गया।

निर्णय :– संशोधित अध्यादेश कमांक 45 पर प्रो. ए.के. पति, द्वारा विद्या–परिषद् में प्रस्तुत प्रस्ताव कि शोध प्रबंध जमा करने के पूर्व दो शोध लेख स्तरीय जर्नल में प्रकाशित हो जाने पर ही शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान किया जाय, स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी कार्य परिषद् की बैठक में जब यह सम्पुष्टि के लिए प्रस्तुत होगा सदस्यगण यदि इसे परिष्कृत करने के लिये कुछ सुझाव लिखित में देते है तो उस समय उस पर विचार कर लिया जायेगा।

2. मुख्य परीक्षा 2009 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के तिथि पर विचार किया गया।

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि वार्षिक परीक्षा 2009 में नियमित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2008 तथा अमहाविद्यालयीन के लिए 30 सितम्बर, 2008 रखी जाय। यह व्यवस्था समाचार पत्रों में बार–बार विज्ञप्ति के माध्यम से

प्रचारित की जाय। पूरक एवं पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना से उत्तीर्ण होनें वाले छात्रों के लये परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिवस के अंदर होगी।

3. श्री के. वेणु आचारी, शोध छात्र प्राणी शास्त्र, के परीक्षा निरस्त की गई, के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– श्री के. वेणु आचारी, की मौखिक परीक्षा के लिए डॉ. ए.के. पति, शोध–निर्देशक द्वारा बाह्य–परीक्षक डॉ. आर.एन. सक्सेना, दिल्ली को बिना मौखिक परीक्षा तिथि अधिसूचित कराए, रायपुर बुलाया गया और उन्हें स्थानीय 'पिकाडिली' होटल में ठहराया। अध्यादेश क्र. 45 की कंडिका 17 (एफ) के अनुसार मौखिक परीक्षा की तिथि समय मौखिक परीक्षा के एक सप्ताह पूर्व कुलसचिव द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए, जो नहीं किया गया था फिर भी डॉ. पति शोध–निर्देशक श्री के. वेणु आचारी की मौखिक परीक्षा आयोजित कराना चाहते थे, नियम विरूद्ध होनें के कारण मौखिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। मौखिक परीक्षा के लिए दूसरा परीक्षक नियुक्त किया जा चुका है।

4. श्री क्यू. फजली, कनिष्ठ अधीक्षक निलम्बित के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय :– विभागीय जॉच में श्री क्यू फजली दोषी करार दिये गये हैं। कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मत निर्णय लिया कि श्री फजली की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार किया गया।

1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति दिनांक 28.05.08 की कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
अध्यक्ष

कृते कुलसचिव
सचिव

पृ.कमांक 1287/अका./का.प./2008
रायपुर, दिनांक : 4/06/2008

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

सहायक कुलसचिव (अका.)